आदेश	कार्यवाही विवरण
26.04.2022	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। प्रतिवादी सं0 2 लगायत 4 व 12, 13 की ओर से इकबालिया जवाब दावा पूर्व में दिनांक 27.09.2021 को पेश किया जा चुका हैं जो पत्रावली में शामिल मिसल हैं। प्रतिवादीगण सं0 1, 5 लगायत 11 व 15 लगायत 16 की रजिस्ट्री रसीद पत्रावली में शामिल मिसल हैं। बार–बार आवाज दिलवाई गई। बार–बार आवाज दिलाने व बावजूद तामिल सूचना इनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं। अतः प्रतिवादीगण सं0 1, 5 लगायत 11 व 15 लगायत 16 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती हैं। बहस दावा श्रवण की गई। पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 27.04.22 को पेश हो।
27.04.2022	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। बहस के दौरान वादी वकील ने वाद–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि वाद में वर्णित भूमि में वादी के पिता की मृत्यू के बाद जो विरासतन नामान्तरकरण भरा गया उसमें वादी का नाम सहवन से फतेहसिंह पुत्र जगमाल सिंह गलत दर्ज हो गया जबकि वादी का सही नाम प्रभूसिंह पुत्र जगमाल सिंह हैं। अतः राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम दुरूस्त किया जावे। प्रतिवादीगण सं0 2 लगायत 4, 12, 13 के वकील ने इकबालिया जवाब दावा में अंकित तथ्यों को दोहराय तथा वादी का नाम वाद–पत्र में वर्णित भूमि में फतेहसिह पुत्र जगमालसिंह की बजाय प्रभूसिंह पुत्र जगमालसिंह दुरूस्त किये जाने में सहमति जताई। प्रतिवादी सं0 14 तहसीलदार गुढा गौड़जी ने तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट में अंकित तथ्यां को दोहराया तथा कथन किया कि ग्राम हांसलसर की वर्तमान जमाबंदी सम्वत् 2075–78 में खातेदार फतेहसिंह पुत्र जगमालसिंह जाति राजपूत दर्ज है जो सही नहीं है। प्रार्थी के आवश्यक दस्तावेजों मतदाता पहचान–पत्र, पेन कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पास बुक में प्रभूसिंह पुत्र जगमालसिंह हैं। अतः वादी का नाम उक्त राजस्व रिकार्ड में फतेहसिंह पुत्र जगमालसिंह के स्थान पर प्रभूसिंह पुत्र जगमाल सिंह दुरूस्त किया जाना उचित है। पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेज, तहसीलदार गुढा गौड़जी की जांच रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज, तहसीलदार गुढा गौड़जी की जांच रिपोर्ट व सरपंच ग्राम पंचायत हांसलसर के प्रमाण–पत्र के अनुसार वादी का सही नाम फतेहसिंह पुत्र जगमालसिंह के बजाय प्रभुसिंह पुत्र जगमाल सिंह हैं। उक्त विवेचन से ग्राम हांसलसर की वर्तमान जमाबंदी सम्वत् 2075–78 में भूमि खसरा नम्बर 382, 383, 384, 494 कुल किता 4 कुल रकबा 2.11 है0 के राजस्व रिकार्ड में खातेदार फतेहसिंह पुत्र जगमालसिंह के बजाय प्रभुसिंह पुत्र जगमाल सिंह दुरूस्त किया जाना उचित एवं न्यायसंगत प्रतीत होता हैं। **आदेश** वादी द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र स्वीकार किया जाता हैं तथा डिकी इस आशय की दी जाती हैं कि ग्राम हांसलसर पटवार हल्का हांसलसर के भूमि खसरा नम्बर 382, 383, 384, 494 कुल किता 4 कुल रकबा 2.11 है0 के राजस्व रिकार्ड में दर्ज वादी का नाम फतेहसिंह पुत्र जगमालसिंह के बजाय प्रभुसिंह पुत्र जगमाल सिंह [illegible] किया जाता हैं। [illegible] डिकी पृथक से टंकित करवाया जाकर शामिल मिसल की [illegible]सार तहसीलदार गुढा गौड़जी राजस्व रिकार्ड में [illegible] शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा दाखिल [illegible] हो। निर्णय आज दिनांक 27.04.2022 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया। 27/4/22 उपखण्ड अधिकारी (रामसिंह राजावत) उदयपुरवाटी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.02.13 12:44:06 IST
Reason: SelfAttested